संख्या–पी–57/14–2–2017–800(52)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई 2017

विषयः– पुखराया–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0.000 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षों के पातन कानपुर नगर में किमी0 22.000 से 54.000 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर में किमी0 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी व 6743 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक व उस पर अवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–2255/पुखराया–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग,दिनांक–04–5–2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुखराया–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0.000 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षों के पातन कानपुर नगर में किमी0 22.000 से 54.000 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर में किमी0 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी व 6743 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक व उस पर अवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण)अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–पी 57 (1)/14–2–2017–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3– वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद।
3– जिलाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं फतेहपुर।
4– प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं फतेहपुर।
5– महाप्रबन्धक (तकनीकी) उपशा, चतुर्थ तल किसाान मण्डी भवन, लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।